कार्यालय पत्रांक सं०-1920078 दिनांक 23-12-2019

पत्र सं0–टी0आर0यू0/पंजीयन वृद्धि 3rd पार्टी डाटा /2019–20/102/वाणिज्य कर।

कार्यालय:: कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
(टी0आर0यू0)
लखनऊ:: दिनांक, 23 दिसम्बर, 2019

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उ0प्र0।

विषय:– जी0एस0टी0 पंजीयन बेस में वृद्धि हेतु 3rd पार्टी डाटा संकलन–Paytm

उ0प्र0 राज्य में जी0एस0टी0 पंजीयन बेस में वृद्धि हेतु स्थित कार्ययोजना मुख्यालय के परिपत्र सं0–व्यापारी पंजीयन/ज्वाइण्ट कमिश्नर (GST)/2019–20/732/वणिज्य कर, दिनांक 22.11.2019 से जारी की गयी थी। इस कार्ययोजना द्वारा प्रदेश की सभी नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों, नगर निगमों तथा 2000 से अधिक जनसंख्या की ग्राम पंचायतों एवं अन्य प्रमुख बाजारों में विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों की टीम द्वारा भ्रमण करके पंजीकृत एवं अपंजीकृत व्यापारियों से डाटा संकलित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त जी0एस0टी0 पंजीयन बेस में वृद्धि के उद्देश्य से सभी वि0अनु0शा0 इकाईयों को विभिन्न राजकीय विभागों से 3rd पार्टी डाटा संकलित करने के निर्देश दिये गये हैं।

i. उक्त अभियान के क्रम में TRU, मुख्यालय द्वारा एडीशनल कमिश्नर, नोएडा के सहयोग से डिजिटल प्लेटफार्म Paytm के माध्यम से वर्ष 2018–19 में भुगतान प्राप्त करने वाली Business Entities की सूची संकलित की गयी है। इस सूची में Business Entity का नाम (Merchant Name), Contact Person का नाम, पता, पिन कोड, जनपद का नाम, मोबाइल नं0 तथा वर्ष 2018–19 में Paytm के माध्यम से प्राप्त भुगतान अंकित है। मुख्यालय स्तर पर इस सूची का विश्लेषण करके जनपदवार संकलित किया गया है।

ii. Paytm से प्राप्त डाटा के विश्लेषण के उपरान्त दो एक्सेल शीट तैयार की गयी है।
शीट– A- ऐसे Business Entities से सम्बंधित है, जिनके PAN अथवा GSTIN Paytm के डाटा बेस में नहीं है। (कुल 79112 Business Entity)
शीट– B- ऐसे Business Entities से सम्बंधित है, जिनमें PAN उपलब्ध है किन्तु GSTIN उपलब्ध नहीं है। (कुल 26752 Business Entity)

स्पष्ट है कि शीट– A तथा शीट– B में अंकित Entities अस्तित्व में हैं तथा इनके द्वारा व्यापारिक गतिविधियाँ भी संचालित की जा रही हैं। शीट–A तथा शीट–B में अंकित **उक्त Business Entities द्वारा Paytm के अतिरिक्त अन्य डिजिटल माध्यमों के साथ–साथ नकद भुगतान प्राप्त किया जाना भी संभावित है।**

यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018–19 में वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापारियों हेतु पंजीयन थ्रेशहोल्ड रू0 20 लाख वार्षिक थी।

iii. आपके क्षेत्राधिकार में आने वाले जनपदों से सम्बंधित एक्सेल शीट–A और B आपकी मेल आई0डी0 पर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि, अपने स्तर से इस शीट को खण्डवार संकलित कराकर सम्बंधित खण्ड की भ्रमण टीमों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

iv. उपरोक्तानुसार चिन्हित खण्डवार सूची के साथ भ्रमण टीमों द्वारा मौके पर भ्रमण करके शीट–A में अंकित व्यापारियों का PAN/GSTIN प्राप्त किया जायेगा तथा इस शीट में अंकित व्यापारियों की व्यापारिक स्थिति का आकलन किया जायेगा। इसी प्रकार शीट–B में अंकित व्यापारियों की व्यापारिक स्थिति का आकलन भी किया जायेगा। इस सभी मामलों में परिपत्र सं0–व्यापारी पंजीयन/ज्वाइण्ट कमिश्नर (GST)/2019–20 /732/वणिज्य कर, दिनांक 22.11.2019 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। इस सूची में अंकित व्यापारियों के व्यापार स्थलों के भ्रमण के उपरांत ऑनलाइन प्रारूप–II तथा II-A में फीडिंग के समय टीम प्रभारी की टिप्पणी में Reference HQ – Paytm A/B अवश्य अंकित किया जायेगा। यदि विभागीय भ्रमण टीम द्वारा सूची में अंकित व्यापारियों के व्यापार स्थलों का भ्रमण पूर्व में किया जा चुका है तो ऐसे मामलों में व्यापार स्थल का पुनः भ्रमण किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु पूर्व में किये गये भ्रमण के समय पाये गये तथ्यों के आलोक में प्रत्येक प्रकरण का परीक्षण खण्ड, संभाग, एवं जोन स्तर पर किया जायेगा।

v. मुख्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जा रही शीट– A में PAN/GSTIN/Eligible for Registration or not अंकित किया जायेगा। इसी प्रकार शीट– B में Eligible for Registration or not अंकित किया जायेगा। यह प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त जोनल स्तर से संकलित शीट–A एवं B, TRU मुख्यालय को ई–मेल मेल आई0डी0–tru.comtaxup@gmail.com के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

कमिश्नर,

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।